SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI – 400 096.
Tel: 28294770, Fax: 28291754
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in
****

No. SEEPZ-SEZ/EMS/GC/Pooja/81/part file/ 2882 Date: 5th October, 2016

CIRCULAR No. 11 /2016

Sub: General Permission for Unit Holders in SEEPZ-SEZ

In supersession of all earlier orders on above subject, the Competent Authority has decided that no permission shall be required for conducting following activities by the units in Zone Complex:-

1. **All types of Pooja, Festival Celebration i.e. Ganesh-utshav, Navratri, Diwali, Christmas, New Year etc.**

The unit is required to adhere the following conditions:-

a) There should not be any disturbance to other units in Zone complex.
b) All employees must carry Identity Card.
c) No one shall consume liquor during the function or event.
d) Unit shall comply with the security guidelines issued by SEEPZ Authority/Security Officer.
e) The premises should be kept neat and clean after function/event is over.
f) The In & Out of material including DJ Music system for the function/event may be intimated to the Security Officer at Gate No. 1 only.
g) No crackers will be allowed.

2. **Medical Checkup Camps, Blood donation camps etc. at SEEPZ Clinic:-**

(a) No permission will be required if the above medical checkup activities are carried out at SEEPZ Clinic at Ground Floor, BFC Building.

(b) The unit will not be charged for space for conducting such activities at the Clinic.

This issue with approval of Chairman SEEPZ-SEZ.

5/10/2016
(V. P. Shukla)
Manager (Estate)/JDC
SEEPZ- SEZ Authority

Copy to: 1) Web site
2) Copy to Security Section
3) All units in SEEPZ-SEZ
4) All caretakers (SEEPZ-SEZ)

सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 096
टेलीफोन: 28294770, फैक्स:28291754
ई-मेल:dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट:www.seepz.org.in

****

सं.सीप्ज़-सेज़/ईएमएस/जीसी/पूजा/81/पार्ट फाइल/ 29824 **दिनांक: 05 अक्टूबर, 2016**

परिपत्र संख्या 11/2016

विषय: सीप्ज़-सेज़ में यूनिटधारकों के लिए सामान्य अनुमति के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय पर पूर्ववर्ती आदेशों को अधिक्रांत करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने यह विनिश्चय किया है कि क्षेत्र परिसर में स्थित यूनिटों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन के लिए किसी प्रकार की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होगी:-

1. **सभी प्रकार की पूजा, त्योहार अर्थात गणेश उत्सव, नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस, नया साल आदि का आयोजन ।**

यूनिट के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा:-

क) क्षेत्र परिसर में स्थित अन्य यूनिटों को इसके चलते किसी प्रकार की असुविधा न हो ।
ख) सभी कर्मचारी अपना पहचान पत्र रखेंगे ।
ग) समारोह अथवा कार्यक्रम के दौरान कोई शराब नहीं पीएगा ।
घ) यूनिट को सीप्ज़ प्राधिकरण, सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा ।
ङ) समारोह / कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद परिसर को साफ-सुथरा करना होगा ।
च) समारोह / कार्याक्रम के लिए डीजे म्यूज़िक सिस्टम सहित अन्य सामाग्रियों के अंदर लाने तथा बाहर ले जाने की सूचना गेट नं. 1 पर तैनात सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।
छ) पटाखे / आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी ।

2. **सीप्ज़ क्लीनिक में चिकित्सा जांच शिविरों, रक्तदान शिविरों आदि का आयोजन:-**

क) यदि बीएफसी बिल्डिंग के भूमितल पर स्थित सीप्ज़ क्लीनिक में चिकित्सा जांच संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, तो किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।
ख) क्लीनिक में ऐसी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए यूनिट से स्थान के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा ।

यह अध्यक्ष, सीप्ज़-सेज़, के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
प्रबंधक (संपदा) / संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति:-

1. वेबसाइट
2. सुरक्षा अनुभाग